POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 25.11.2023

1.थाना दादरी पुलिस द्वारा लूट की घटना का मात्र 16 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए लूट करने वाले 04 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर मय ट्रॉली (जिसमें श्री सीमेन्ट के 320 कट्टे भरे हुए हैं), अवैध हथियार व घटना मे प्रयुक्त होन्डा सिटी कार बरामद।

घटना क्रम का विवरण-- दिनांक 23.11.2023 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के ड्राइवर को चकमा देकर वादी का महेन्द्रा (ट्रेक्टर ट्रॉली) यूपी 14 एचटी 3007 जिसमें 320 बैग सीमेन्ट भरा हुआ था, सीमेट के बिल व ट्रैक्टर ट्रॉली छीनकर भाग गये थे जिसके सम्बन्ध में वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना दादरी पर मु0अ0सं0 629/2023 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.11.2023 को उक्त अभियोग के अनावरण हेतु थाना दादरी पर तत्काल 04 टीमों का गठन किया गया था जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से घटना के अनावरण हेतु प्रयास किया जा रहा था। थाना दादरी पुलिस द्वारा उपरोक्त लूट की घटना की सूचना मिलने के मात्र 16 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए गोपनीय सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बोडाकी रामगढ मार्ग पर सर्वाेत्तम सोसायटी के गेट से 04 अभियुक्त 1.विजय कुमार पुत्र सूरजपाल सिंह 2.विष्णु शर्मा पुत्र सत्यप्रकाश शर्मा 3.पिन्टू शर्मा पुत्र अजय शर्मा व 4. विनोद पुत्र किरनपाल को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों द्वारा गिरफ्तारी से बचाव हेतु पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी जिसपर पुलिस द्वारा की गयी जवाबी कार्यवाही में सभी अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गये। अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है। अभियुक्तों द्वारा जीटी रोड से निकलने वाले सीमेन्ट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को चकमा देकर लूटपाट करना। सम्पूर्ण प्रकरण में मास्टर माइन्ड अभियुक्त विजय कुमार उर्फ विजय राणा है, जिसके द्वारा इस पूरी घटना की योजना बनाकर अपने सह अभियुक्तों को घटना में शामिल कर उक्त घटना का अंजाम दिया गया है। मास्टर माइंड अभियुक्त विजय कुमार का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। घटना में प्रयुक्त होन्डा सिटी कार भी अभियुक्त विजय कुमार की है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में लूटे गये ट्रैक्टर महिन्द्रा 475 रजि0नं0 यूपी 14 एचटी 3007 व ट्रॉली (जिसमें श्री सीमेन्ट के 320 कट्टे भरे हुए हैं) व घटना मे प्रयुक्त होन्डा सिटी कार रजि0नं0 डीएल 3 सीबीए 5086 व 04 अवैध तमंचे मय 04 खोखा कारतूस व 05 जिन्दा कारतूस बरामद हुए है

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. विजय कुमार पुत्र सूरजपाल सिंह निवासी गांव जारचा, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता आन्टी फार्म कुलेशरा, थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष।
2. विष्णु शर्मा पुत्र सत्यप्रकाश शर्मा निवासी गांव भदौरा, थाना खानपुर, जिला बुलन्दशहर उम्र 21 वर्ष।
3. पिन्टू शर्मा पुत्र अजय शर्मा निवासी गांव भदौरा, थाना खानपुर, जिला बुलन्दशहर उम्र 20 वर्ष।
4. विनोद पुत्र किरनपाल निवासी गांव शेखूपुरा थाना खानपुर, जिला बुलन्दशहर उम्र 32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 629/2023 धारा 392 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 630/2023 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगनर।
3. मु0अ0सं0 859/2019 धारा 115/120 बी भादवि बनाम विजय कुमार उपरोक्त थाना सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर।
4. मु0अ0सं0 860/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम विजय कुमार उपरोक्त थाना सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण--

1. 04 अदद तमंचा 315 बोर।
2. 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
3. 04 खोखा कारतूस 315 बोर।

4. 01 कार होन्डा सिटी रजि0नं0 डीएल 3 सीबीए 5086 (घटना में प्रयुक्त)।
5. घटना में लूटा गया ट्रैक्टर रजि0नं0 यूपी 14 एचटी 3007 महिन्द्रा 475 व ट्रॉली (जिसमें श्री सीमेन्ट के 320 कट्टे भरे हुए हैं)

2.थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 480 नशीली गोलियां (एलप्रजोलम) वजन करीब 48 ग्राम बरामद।

घटना क्रम का विवऱण-- दिनांक 25/11/2023 को थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान कॉलेज व यूनिवर्सिटी के छात्रों को नशीली गोलियां बेचने वाला अभियुक्त शाकिर पुत्र रजा हुसैन को थाना क्षेत्र के गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 480 नशीली गोलियां (एलप्रजोलम) वजन करीब 48 ग्राम बरामद की गई है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसने विवों कंपनी के पास अपनी एक दवाइयों की दुकान भी खोल रखी है जिसकी आड़ मे वह दिल्ली से प्रतिबंधित नशीली गोलीयां लाकर नशे के प्रयोजन हेतु बेचता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--
1. शाकिर पुत्र रजा हुसैन निवासी ग्राम उस्मानपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण--
1. मु0अ0सं0 93/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना इकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--
1. 480 नशीली गोलियां (एलप्रजोलम) वजन करीब 48 ग्राम

3.थाना बीटा-2 पुलिस व नारकोटिक्स टीम द्वारा गाँजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 72 किलो 300 ग्राम अवैध गाँजा (कीमत करीब 7 लाख 23 हजार रूपये) व घटना में प्रयुक्त एक होण्डा सिटी कार बरामद।

घटना क्रम का विवऱण-- दिनांक 25/11/2023 को थाना बीटा-2 पुलिस टीम व नारकोटिक्स टीम द्वारा गोपीनय सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त 1.चाँद उर्फ चांदू पुत्र तौसीफ 2.इरशाद पुत्र अब्दुल रहीम व 3.राशिद पुत्र मुकीम को थाना बीटा-2 क्षेत्र के नवादा गोलचक्कर से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों का एक सक्रीय गिरोह है जिसका सरगना इरशाद है। इरशाद अपने साथी चाँद उर्फ चांदू व राशिद के साथ मिलकर आन्ध्रप्रदेश राज्य से बडी मात्रा में गाँजे की तस्करी करता है एवं तस्करी के गाँजे को नोएडा, ग्रेटर नोएडा व एनसीआर क्षेत्र में सोसाइटियों, कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटियों के आस-पास फुटकर में बिक्री कर अवैध धन अर्जित करते है। अभियुक्तों द्वारा होण्डा सिटी कार की डिग्गी में एक गुप्त स्कीम (गाडी की डिग्गी के अंदर स्टेपनी रखने के स्थान पर अवैध गांजा छिपाकर रखने के लिए एक बाक्स बना रखा है तथा बाक्स के ऊपर लोहे की प्लेट रखकर पेच से कसकर मैट डाल रखा था) बनी हुयी थी, गुप्त स्कीम से 72 किलो 300 ग्राम अवैध गाँजा बरामद हुआ है। अभियुक्तों से बरामद गांजे की सप्लाई चेन के सम्बन्ध में गहनता से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--
1. 1.चांद उर्फ चांदू पुत्र तौसीफ निवासी अमन कॉलोनी, तैयवा मस्जिद, रेलवे लाइन, थाना घंण्टाघर, जिला गाजियाबाद।
2. इरशाद पुत्र अब्दुल रहीम निवासी मुहल्ला गोरकी उर्फ गोरखी, सुनहरी मस्जिद के पास, थाना सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर।
3. राशिद पुत्र मुकीम निवासी पंचवटी फार्म मैरिज होम के सामने वाली गली, थाना सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास--
1. मु0अ0सं0 600/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर बनाम चाँद, इरशाद, राशिद।
2. मु0अ0सं0 135/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना अगौता, जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद।
3. मु0अ0सं0 69/2019 धारा 395/397/412/120बी भादवि थाना अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद।
4. मु0अ0सं0 234/2019 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद।
5. मु0अ0सं0 1170/2018 धारा 392/411 भादवि थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद।

6. मु0अ0सं0 208/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद।
7. मु0अ0सं0 216/2019 धारा 394/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद
8. मु0अ0सं0 251/2019 धारा 307 भादवि थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद।
9. मु0अ0सं0 253/2019 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद।
10. मु0अ0सं0 367/2016 धारा 342/386 भादवि थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद।
11. मु0अ0सं0 377/2015 धारा 380/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद।
12. मु0अ0सं0 411/2016 धारा 307 भादवि थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद।
13. मु0अ0सं0 412/2016 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद।
14. मु0अ0सं0 587/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद।
15. मु0अ0सं0 833/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम, थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर बनाम इरशाद।
16. मु0अ0सं0 999/2016 धारा 411 भादवि व 41/102 दं.प्र.सं. थाना सिकन्द्राबाद,जिला बुलन्दशहर,बनाम इरशाद।
17. मु0अ0सं0 03/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद, बनाम चाँद उर्फ चंदू।
18. मु0अ0सं0 357/2022 धारा 379 भादवि थाना मुरादनगर, जिला गाजियाबाद, बनाम चाँद उर्फ चंदू।
19. मु0अ0सं0 1549/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद बनाम चाँद उर्फ चंदू।
20. मु0अ0सं0 1548/2020 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद बनाम चाँद उर्फ चंदू।

बरामदगी का विवरण--

1. 72 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा
2. एक होण्डा सिटी कार नम्बर-डीएल 7 सी.एफ 7329 (घटना में प्रयुक्त)